श्रीगंगानगर
29/16
AB

अपील सूचना अधि. सं0 29/2016 अनवानी श्री धिरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री राधाकृष्ण उर्फ देवकी नन्दन शर्मा वार्ड न0 18, चक 3ए छोटी, पावन धाम मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–07–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धिरेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से 2 बिन्दुओ की सूचना चाही थी किन्तु जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र दिनांक 01.02.2016 द्वारा जान बूझकर सूचनांए उपलब्ध न करवाई जाकर बल्कि चाही गई सूचना को "क्यों" श्रेणी व "काल्पनिक" सूचना माना जाकर अपने विधिक विभागीय एवं नैतिक कर्तव्य का निर्वहन नही किया है। अतः लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दण्डात्मक, विभागीय एवं विधिक कार्यवाही की जावे और उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवाई जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी श्री धिरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

(1) वार्ड न0 19, महावीर कॉलोनी निवासी महावीर प्रसाद पुत्र रिछपाल के वर्तमान में तैयार परिवार राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति व तत्कालीन राशन कार्ड सं0 434 पुराना वार्ड न0 23 की प्रमाणित प्रति के साथ–2, 2 अक्टूबर 2013 को जारी खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महावीर प्रसाद जी द्वारा उठाए गेहूं के ब्यौरे की प्रति लेने हेतू।
(2) पुरानी आबादी लीला चौक वार्ड न0 10 के श्रीराम शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा के नाम से जारी नये परिवार राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति के साथ–2 तत्कालीन राशन कार्ड सं0 247 वार्ड न0 12 जिसकी जारी होने की दिनांक 20.04.2002 है की प्रमाणित प्रति के साथ–2 इसके द्वारा भी 2 अक्टूबर 2013 को जारी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उठाए गए गेहूं के ब्यौरे की प्रमाणित प्रति लेने हेतू।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 1171 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 11.01.2016 को उन्हे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी श्री धिरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चाही गई सूचनांए उनके कार्यालय में संधारित नही होने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 600 दिनांक 01.02.2016 से समय अवधि में आवेदक को सूचित कर दिया गया था। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी श्री धिरेन्द्र कुमार शर्मा को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के सन्दर्भ में पत्र सं0 600 दिनांक 01.02.2016 से निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

कलक्टर
गंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

29/16
AJ/2

1– आरटीआई आवेदन में चाही गई सूचनांए जिस प्रारूप में चाही है इस कार्यालय में संधारित नही है एवं उक्त समस्त सूचनांए तृतीय पक्ष की है। उक्त चाही गई सूचना के संबंध में लेख है कि राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पय किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिर्पोट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.22(16)प्रसू/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में ''क्यों'' प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पेटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलेसे पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नो के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

2– इस प्रकार खोजकर खेजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अंधिकार के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

3– इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय में भी स्पे. लीव पेटीशन (सिविल) न0 27734/2012 में दिनांक 03.10.2012 में पारित निर्णय में भी स्पष्ट किया है कि We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respodent show cause notices and orders of censure punishment etc. are qualified to be personal information as defined in clause (i) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/ officer in and organization is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of which would cause unwarranted infasion of privacy of the individual. of course, in a given as, if the central public information officer of the State Public Information Officer of the Appellate Authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. appropriate orders coud be passed but the petitioner cannot claim those details as matter of right.

चूंकि चाही गई सूचनांए तृतीय पक्ष से संबंधित है और प्रश्नात्मक है तथा जिस रूप में सूचना चाही गई है, उस रूप में सूचना जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में संधारित नही है और सूचना खोजकर, तैयार कर दिये जाने का कोई प्रावधान नही है और चाही सूचनांओ में कोई विस्तृत जनहित भी प्रतीत नही होता है। ऐसी दशा में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 01.02.2016 को जो उक्तानुसार उत्तर दिया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर